



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939

No. 715]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1041 (अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 10 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

भाग I

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (कर्मचारियों की सेवा की निबंधन और शर्तें), नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा :- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
 - "अधिकृत चिकित्सा चिकित्सक (प्रेक्टिशनर)" से अभिप्रेत है -
 - पंजीकृत चिकित्सक जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त या अभिहित किया गया है, या जैसा भी मामला हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा इसके अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित आश्रितों के उपचार के लिए;

- (ii) पंजीकृत चिकित्सक जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन मान्यता प्राप्त डिग्री है;
- (iii) एक पंजीकृत चिकित्सक जिसके पास विश्वविद्यालय, सांविधिक बोर्ड, परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान संकाय और होमियोपैथी या समकक्ष से कम से कम 4 वर्ष का आयुर्वेद या यूनानी या होमियोपैथी में डिग्री या डिप्लोमा है जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) या, जैसा भी मामला हो, होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की अनुसूचियों में शामिल किया गया है;
- (ग) "ब्यूरो" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ब्यूरो के महानिदेशक और इसमें उनके द्वारा चिकित्सा सुविधा और इसके अनुप्रयोग की निबंधनों और शर्तों, लीज़ पर रिहायशी आवास और यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए अभिहित अन्य कोई अधिकारी शामिल है।
- (ङ) "नियंत्रक अधिकारी" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा यात्रा भत्ते, लीज़ पर आवास और चिकित्सा उपस्थिति के प्रयोजनों के लिए अभिहित एक अधिकारी;
- (च) "आश्रित" से अभिप्रेत है एक कर्मचारी के परिवार का एक सदस्य, सिवाए जीवन साथी के, केवल यदि सभी स्रोतों से पेंशन और उपदान के समकक्ष पेंशन सहित उनकी आय केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर उक्त लाभ पाने के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है;
- (छ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है ब्यूरो में स्वीकृत पदों पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी जिनमें इन नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति शामिल हैं;
- (ज) "पैनलबद्ध अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर" से अभिप्रेत है -
- (i) सरकारी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर सहित सभी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर जो विशेष और सामान्य प्रयोजन उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई अस्पताल जिनमें केन्द्रीय सरकार के सेवकों के उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवस्था बनाई गई है;
- (ii) इसमें मातृ तथा बाल कल्याण केन्द्र शामिल हैं, जहां कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए आंतरिक रोगी उपचार और चिकित्सा उपस्थिति की सुविधा है;
- (झ) चिकित्सा उपस्थिति के प्रयोजनों के लिए "परिवार" का अर्थ है ब्यूरो के कर्मचारी, उनकी पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो और माता पिता, बहनें, विधवा बहने, विधवा बेटियां, नाबालिग भाई, बच्चे, सौतेले बच्चे, तलाकशुदा या अलग रहने वाली बेटियां और सौतेली मां शामिल हैं जो ब्यूरो के कर्मचारी पर पूरी तरह आश्रित हैं और सामान्य तौर पर उनके साथ रहते हैं;
- (ञ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ जोड़े गए प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ट) "चिकित्सा उपस्थिति" से अभिप्रेत है एक पैनलबद्ध अस्पताल या एक अधिकृत चिकित्सक के परामर्श कक्ष या क्लिनिक में या कर्मचारी के निवास पर, जैसी सलाह अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी जाए, जिसमें निदान के प्रयोजन के लिए विकृति वैज्ञानिक, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या अन्य जांच विधियों को कराया जाए जो किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल, प्रयोगशाला या डायग्नोस्टिक सेंटर में उपलब्ध हैं, जिन्हें अधिकृत चिकित्सा अधिकारी या अन्य किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कराने को प्रमाणित किया जाता है।

- (ठ) "रोगी" से अभिप्रेत है एक कर्मचारी या उसके परिवार का एक सदस्य, जिन पर ये नियम लागू होते हैं और जो बीमार हो गए हैं तथा जिन्हें चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है;
- (ड) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, क्रमशः अधिनियम के अनुसार इनके अर्थ इन्हें प्रदान किए गए।

3. ब्यूरो में पदों पर नियुक्ति :-

ब्यूरो के समग्र नियंत्रण के अधीन -

- (क) ब्यूरो में पदों पर प्रत्येक नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' और 'ख' पदों के समकक्ष सिवाए उनके जिन्हें अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है, ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा की जाएंगी; और
- (ख) ब्यूरो में पदों पर प्रत्येक नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' पदों पर ब्यूरो के सचिव द्वारा की जाएंगी।

भाग II

वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

4. वेतन और भत्ते - (1) सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक अनुबंध के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतन और भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट और नियत किए जाएंगे।

(2) ब्यूरो का प्रत्येक कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के सदृश स्तर के कर्मचारियों के लिए यथा: प्रयोज्य महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, बच्चों का शिक्षा भत्ता या शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, दैनिक भत्ता, अवकाश, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय छुट्टी का नकदीकरण, अन्य भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे।

(3) ब्यूरो के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार के अधीन सांविधिक निकायों पर यथा: प्रयोज्य कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के अधीन बनाए गए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और ग्रेच्युटी के प्रावधान लागू होंगे।

(4) ब्यूरो के कर्मचारियों को इसकी पात्रता होगी :-

- (क) ब्यूरो के कर्मचारियों को इन नियमों के भाग IV के उपबंधों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं अनुमेय होंगी।
- (ख) इन नियमों के भाग V के उपबंधों के अनुसार, मकान किराए भत्ते के स्थान पर पट्टे पर रिहायशी आवास की सुविधा अनुमेय होगी और पट्टे पर आवास न लेने वाले कर्मचारी, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय आवास किराया भत्ता लेने के पात्र होंगे।
- (ग) यात्रा भत्ता भाग VI के उपबंधों के अनुसार दिया जाएगा।
- (घ) केन्द्रीय सरकारी सेवकों को उपलब्ध कोई भी अन्य भत्ता, जिसके लिए इन नियमों में प्रावधान नहीं किया गया है;

(ड.) ब्यूरो के कर्मचारियों पर कल्याणकारी उपाय जैसे छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन सहित, जिसके लिए इन नियमों में कोई एक्सप्रेस प्रावधान नहीं किया गया है, जिनमें अन्य सुविधाएं, जैसे वेतन अथवा अग्रिम सहित अग्रिम वेतन, कानूनी कार्यवाही संबंधी अग्रिम, ब्याज मुक्त और ब्याज युक्त अग्रिम, जैसे, किंतु ये मोटर कार या मोटर साइकिल या स्कूटर अग्रिम, साइकिल अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम, निजी कंप्यूटर अग्रिम तक सीमित नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

5. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं - (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों, जैसा भी मामला हो से किसी कर्मचारी की विगत में प्रतिनियुक्ति की सेवाओं की गणना समामेलन पर की जाएगी, और यह इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

(2) समान स्तर के नियमित कर्मचारियों को ऐसे भत्ते प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालिक अनुबंध पर आए अधिकारियों को अनुमेय नहीं होंगे चाहे ये भत्ते उन्हें उनके मूल संगठन में देय हों।

(3) प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक अनुबंध पर कार्यभार करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने के पात्र होंगे जिसमें वे अपने मूल संगठन में अंशदान देते हैं और जहां ये कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य हैं, ब्यूरो प्रत्येक मामले में यथाप्रयोज्य नियोक्ता के अंशदान की कीमत वहन करेगा।

(4) प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में, ब्यूरो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार मूल विभाग को छुट्टी, वेतन, अंशदान और पेंशन अंशदान/अंशदायी भविष्य निधि (कर्मचारी का हिस्सा) अंशदान चुकाएगा।

(5) जब ब्यूरो निर्णय लेता है कि प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति की सेवाएं अब अपेक्षित नहीं हैं, जैसे और जब भी प्रतिनियुक्ति के मूल संवर्ग में समय से पहले भेजने की स्थिति पैदा होती है, लेनदार मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संगठन और संबंधित कर्मचारी को एक माह से अनधिक की अग्रिम सूचना देने के बाद उसे प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि से पहले भी उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

6. कर्मचारियों का नियोजन -(1) ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा किसी भी समय पर कर्मचारियों की तैनाती का निर्णय कम से कम वेतन मैट्रिक्स के स्तर में ऐसे किसी पद के लिए तैनाती हेतु लिया जा सकता है जिसके लिए कर्मचारी की भर्ती की गई थी।

(2) कोई कर्मचारी कार्य की तात्कालिकता होने पर एक से अधिक पद पर रह सकता है जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, सिवाए मूल नियमों, 1922 में दिए पारिश्रमिक को छोड़कर।

भाग III

वार्षिक मूल्यांकन, अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंड

7. वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट - ब्यूरो के कर्मचारियों पर केंद्रीय सरकार की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट स्व मूल्यांकन प्रणाली सहित वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट लिखने, आंशिक रिपोर्ट लिखने सहित उनकी आवधिकता प्ररूपों सहित ऐसी रिपोर्टों के रिकार्ड और समीक्षा के लिए समक्ष प्राधिकारी, इन रिपोर्टों का लेखन पूरा करने के लिए समय सीमा लागू होगी।

8. अनुशासनात्मक कार्रवाई और शास्ति लगाना - (1) आचरण, अनुशासन और शास्तियां लगाने के मामले में, ब्यूरो के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली (आचरण), 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) शास्ति अथवा शास्तियां लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी, जो यह केन्द्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, (नियंत्रण तथा अपील नियमावली), 1965 के नियम 11 के संदर्भ में लगा सकता है, और इन नियमों के नियम 24 के संदर्भ में, लगाई गई शास्ति के खिलाफ, अपील की सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, अर्थात् :-

सारणी

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	11 नियम के संदर्भ में दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	दंड	अपीलीय प्राधिकारी
केंद्र सरकार के अधीन समूह 'क' पदों के समकक्ष सभी पद	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	सभी	सचिव (विद्युत)
केंद्र सरकार के अधीन समूह 'ख' पदों के समकक्ष सभी पद	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	सभी	सचिव (विद्युत)
केंद्र सरकार के अधीन समूह 'ग' पदों के समकक्ष सभी पद	सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	सभी	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(3) विद्युत मंत्री, जो ब्यूरो की शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष, ब्यूरो के किसी भी कर्मचारी पर लगाई गई शास्ति में आशोधन और समीक्षा के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 29 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भाग IV

चिकित्सा सुविधा और इसके आवेदन के लिए नियम और शर्तें

9. बाह्य चिकित्सा उपचार, पात्रता और दावा प्रस्तुत करना:- (1) ब्यूरो का प्रत्येक कर्मचारी, स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने का हकदार होगा, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 जुलाई के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में दो माह के वेतन तक सीमित होगा।

(2) उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट 'वार्षिक सीमा' में बड़ी जांचों जैसे मेग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन, एंजियोग्राफी पर किए गए व्यय का समावेश नहीं होगा जिसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर

अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन तय अनुमोदित दरों के अनुसार की जाएगी, इनमें से जो भी कम हो।

(3) कर्मचारी द्वारा उप नियम-(1) में उल्लिखित अधिकतम वार्षिक सीमा राशि के अध्याधीन प्रतिपूर्ति का दावा, प्ररूप I में एक प्राधिकृत चिकित्सक से प्रमाणपत्र के साथ चिकित्सा बिल या नकद भुगतान की रसीदों या इनवाँइस प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

(4) ब्यूरो, कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर और प्रासंगिक दस्तावेज प्रमाण के आधार पर संबंधित चिकित्सक अधिकारी की पंजीकरण संख्या सहित प्राधिकृत चिकित्सक अधिकारी की क्षेत्रवार सूची तैयार करेगा और उसका रख-रखाव करेगा

(5) यदि एक कर्मचारी किसी केन्द्रीय सरकारी अथवा राज्य सरकारी पैनलबद्ध अस्पताल अथवा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में उपचार कराता है, तो उपचार करने वाले चिकित्सक को ब्यूरो के लिए प्राधिकृत मेडिकल चिकित्सक माना जाएगा।

10. **आंतरिक चिकित्सा उपचार और पात्रता-** (1) कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य उनके द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे बशर्ते उपचार केंद्र या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पैनलबद्ध अस्पताल में कराया गया हो।

(2) चिकित्सा उपचार में इलाज का खर्च, प्रत्यारोपण और अंतः रोपण का खर्च, जीवाणु या विकिरण, स्कैनिंग और नर्सिंग होम सुविधाओं का खर्च शामिल होंगे।

(3) विदेशी दौरे के दौरान विदेश में उपचार सहित अस्पताल में भर्ती के मामले में आंतरिक उपचार के लिए कक्ष की पात्रता, चिकित्सा अग्रिम प्रदान करने और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, आवश्यक परिवर्तनों सहित समान स्तर के ब्यूरो कर्मचारियों पर लागू होगी।

11. **दावे प्रस्तुत करना-** (1) आम तौर पर किसी बीमारी की अवधि के लिए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु अंतिम दावे इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा जारी परामर्श में दर्शाए गए उपचार के समापन की तारीख से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे, यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा, उचित कारण दर्शाते हुए विलंब किए जाने को माफ करता है।

(2) कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाएगा-

(क) प्राधिकृत चिकित्सक के पंजीकरण संख्या सहित परामर्श की प्रति

(ख) औषधियों अथवा जांचों के मूल बिल अथवा नकद पर्ची; और

(ग) प्रतिपूर्ति के लिए दावा।

(3) चिकित्सा दावों के लिए आवेदन प्ररूप II में किए जाएंगे।

(4) आंतरिक उपचार के सभी खर्च आरंभ में स्वयं कर्मचारी द्वारा वहन किए जाएंगे और इलाज पूरा होने पर वह चिकित्सा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेगा।

(5) जहां प्रतिपूर्ति का दावा परिवार के किसी आश्रित सदस्य के संबंध में किया गया है और अपेक्षा के अनुसार वर्ष के आरंभ में उसके आश्रित होने के संबंध में कर्मचारी द्वारा जानकारी नहीं दी गई हो, जैसा कि आवश्यक है, परिवार के सदस्य और आश्रित के उपचार के लिए दावा करते समय कर्मचारी द्वारा क्रमशः प्ररूप III और प्ररूप IV में प्रस्तुत घोषणा स्वीकार की जाएगी।

भाग V

पट्टे पर रिहायशी आवास

12. पट्टे पर रिहायशी आवास-(1) ब्यूरो का कोई कर्मचारी जो आवास किराया भत्ता नहीं लेता है, वह निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर प्रारूप V में यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में पट्टा विलेख के अनुसार पट्टे पर रिहायशी आवास का विकल्प चुन सकता है, अर्थात्:

- (क) स्वयं के आवास का पट्टा या रक्त संबंधी से पट्टे नहीं होंगे;
- (ख) पट्टा करार की अवधि के भीतर पट्टे पर लिए गए आवास के मालिक को देय किराए में समायोजन के अध्ययधीन अनुमेय सहमत पट्टे की राशि का अग्रिम किराया अथवा तीन माह तक जमानत राशि की अनुमति होगी;
- (ग) यदि पति और पत्नी ब्यूरो के कर्मचारी हैं और एक ही स्टेशन पर तैनात हैं तो उनमें से किसी एक को ही पट्टे पर आवास अनुमेय होगा।
- (घ) यदि ब्यूरो के/की कर्मचारी के पति/पत्नी, दोनों सरकारी सेवक अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के/की कर्मचारी हैं और उसी स्टेशन पर तैनात हैं, पति/पत्नी के कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्ययधीन ब्यूरो के कर्मचारी को पट्टे पर आवास का लाभ मिलेगा।
- (ङ) पट्टे पर आवास का उपयोग केवल कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाएगा;
- (च) पट्टे पर आवास को उप पट्टे अथवा उप किराएदारी पर नहीं दिया जाएगा;
- (छ) ब्यूरो को यह सुनिश्चित करने के लिए पट्टे पर दिए गए परिसरों को निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि इनका उपयोग नियमों के अनुपालन में किया जा रहा है।
- (ज) जहां किए गए निरीक्षण के दौरान यह पता चलता है कि पट्टे पर आवास का उपयोग इन नियमों के अनुपालन में नहीं किया जा रहा है, ब्यूरो-
 - (i) पट्टा विलेख तत्काल समाप्त कर देगा; और
 - (ii) दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा;
- (2) ब्यूरो के कर्मचारी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्तियों सहित, पट्टे पर आवास का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे
- (3) आवास के लिए मासिक किराये की सीमा घर के किराए के भत्ते के डेढ़ गुना तक सीमित होगी, जैसा केंद्रीय सरकार में कर्मचारी हेतु स्वीकार्य है
- (4) पट्टे की अवधि ग्यारह माह से कम नहीं होगी और पट्टे के निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक कि पट्टे का विस्तार या निरंतरता ग्यारह महीने से कम अवधि तक नहीं है।
- (5) पट्टा आवास के लाभार्थी कर्मचारी को कर्मचारी अथवा उसके जीवित, जैसा भी मामला हो, द्वारा आम तौर पर सामान्य किराए के भुगतान पर निम्नलिखित में से किसी घटना के होने पर आवास को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते आवास कर्मचारी अथवा उसके आश्रितों सहित उसके परिवार के सदस्यों के सदाशय उपयोग के लिए अपेक्षित है, अर्थात् :-

क्र. सं.	स्थिति का विवरण	पट्टे पर आवास के प्रतिधारण के लिए अनुमत अवधि
1	सेवानिवृत्ति	चार माह
2	एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर	चार माह
3	स्थानांतरण	दो माह (यदि कर्मचारी का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में होता है, सक्षम अधिकारी विशेष मामलों में आवास का प्रतिधारण शैक्षणिक सत्र के अंत तक दो माह की अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि कर्मचारी के स्थानांतरित होने से बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है)।
4	किसी भी तरह का अवकाश जो गृह किराए भत्ते के भुगतान के योग्य है।	अवकाश की पूर्ण अवधि
5	चिकित्सा आधार पर छुट्टी	विभिन्न प्रकार की छुट्टियों को मिलाकर छह माह जो कर्मचारी के पास चिकित्सा छुट्टी पर जाने से पूर्व किसी समय हों।
6	प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी की मूल विभाग में वापसी	दो माह (यदि न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में काम किया हो)।
		एक माह (यदि एक वर्ष से कम अवधि तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में काम किया हो)।

(6) सक्षम प्राधिकारी असाधारण मामलों में पट्टा विलेख की निबंधनों और शर्तों में छूट दी जा सकती है, जहां कहीं भी यह सिद्ध किया जाता है कि ऐसे निबंधनों और शर्तों से संबंधित कर्मचारी को अनुचित कठिनाई हो सकती है।

(7) भाग V में निर्दिष्ट नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई शक या विवाद पैदा होता है तो ब्यूरो द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

भाग VI

यात्रा भत्ता

13. सामान्य सिद्धांत- (1) जहां तक सरकारी धन से किए गए अथवा प्राधिकृत खर्च हेतु वित्तीय औचित्य का संबंध है, मूल नियम 1922 के नियम 44 और सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 21 में यथा वर्णित प्रतिपूरक भत्तों के विनियमन के शासी सामान्य सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

(2) ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अर्थात् होटल में ठहरने का प्रभार, शहर के अंदर यात्रा के लिए भत्ता और खाने पीने के व्यय की पात्रता तय करने के लिए, इन्हें इनके वेतन की रेंज के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार पांच समूहों में श्रेणीबद्ध किया जाएगा।

(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए शहरों या नगरों का वर्गीकरण केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(4) ब्यूरो के कर्मचारियों को टूर स्टेशन पर होटल आवास का खर्च केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्वीकार्य होगा और टूर स्टेशन पर आवास के खर्च की प्रतिपूर्ति बिलों द्वारा समर्थित वास्तविक व्यय के आधार पर की जाएगी।

भाग VII

सेवा निवृत्ति

14. **सेवानिवृत्ति** – सिवाए इस नियम में बताए जाने के अलावा, ब्यूरो के प्रत्येक कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन की दोपहर को ब्यूरो की सेवा से सेवा निवृत्त होंगे जिसमें उनकी आयु साठ वर्ष पूरी होती है :

बशर्ते ब्यूरो का एक कर्मचारी, जिनकी जन्म तिथि किसी एक माह के पहले दिन होती है जिसमें वे साठ वर्ष की आयु पूरी करते हैं, वे पिछले माह के अंतिम दिन के दोपहर बाद को ब्यूरो की सेवा से सेवा निवृत्त होंगे।

15. **पूर्व सेवा निवृत्ति**– (1) नियम 14 में निहित होने के बावजूद, ब्यूरो में सक्षम प्राधिकारी की राय में यदि ऐसा है कि ब्यूरो के किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करना जनहित में है, कि ब्यूरो के किसी कर्मचारी को सूचित करते हुए उन्हें कम से कम तीन माह की लिखित सूचना द्वारा या उक्त सूचना के स्थान पर तीन माह के वेतन और भत्ते देकर निम्नानुसार सेवा निवृत्त करने का परम अधिकार है :

(क) यदि वह केंद्रीय सरकार के समूह 'क' या समूह 'ख' के पद के समकक्ष पद पर स्थायी, अर्ध स्थायी या अस्थायी क्षमता में कार्यरत है और उन्होंने पैंतीस (35) वर्ष की उम्र से पहले ब्यूरो की सेवा में प्रवेश किया और इसके बाद पचास (50) वर्ष की आयु पर हैं; या

(ख) अन्य किसी मामले में, जब उनकी उम्र पचपन (55) वर्ष है

(2) यदि मामले की समीक्षा पर या तो ब्यूरो के समय से पहले सेवा निवृत्त या अन्यथा, ब्यूरो के किसी कर्मचारी की ओर से अभ्यावेदन होने पर, उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्णय लिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उनकी बहाली का आदेश करते समय, उनकी समय पूर्व सेवा निवृत्ति की तिथि और किसी प्रकार के देय और प्रदान करने योग्य अवकाश प्रदान करते हुए बहाली की तिथि के बीच की अवधि में हस्तक्षेप का नियमन कर सकते हैं, जिसमें असाधारण अवकाश या इसे अकार्य दिवस मानते हुए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है :

बशर्ते कि हस्तक्षेप की अवधि को वेतन और भत्तों सहित सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर तैनात की अवधि माना जाएगा, यदि यह खास तौर पर प्राधिकारी द्वारा बहाली के आदेश पर की गई है कि समय पूर्व सेवा निवृत्ति मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं ठहराई गई थी, या यदि समय पूर्व सेवा निवृत्ति के आदेश को अदालत के कानून द्वारा अलग किया जाता है :

बशर्ते पुनः, कि यदि अदालत के कानून द्वारा समय पूर्व सेवा निवृत्ति के आदेश में उनके समय पूर्व सेवा निवृत्त होने की तिथि और बहाली की तिथि के बीच की अवधि को नियमित बनाने के विषय में विशेष निर्देश दिया गया है और आगे कोई अपील दायर करने का प्रस्ताव नहीं है, उपरोक्त कथित अवधि का नियमन अदालत के कानून के अनुसार किया जाएगा।

(3) ब्यूरो के कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को कम से कम तीन माह की सूचना लिखित रूप में देकर सेवा से सेवा निवृत्त हो सकते हैं, जब उनकी आयु पचास वर्ष हो जाती है, यदि वे केंद्र सरकार में समूह 'क' या समूह 'ख' के समकक्ष पद पर कार्यरत ब्यूरो के कर्मचारी हैं और ब्यूरो में 35 वर्ष की आयु होने से पहले कार्यरत हैं और अन्य सभी मामले जहां उनकी आयु पचास वर्ष हो चुकी है।

(4) उप नियम (1) में निहित होने के बावजूद, ब्यूरो में सक्षम प्राधिकारी की राय में यदि ऐसा है कि सेवा निवृत्त करना जनहित में है, कि केंद्र सरकार के समूह 'ग' पद के समकक्ष पद पर ब्यूरो में कार्यरत किसी कर्मचारी को सूचित करते हुए, जब वह तीस वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, उन्हें कम से कम तीन माह की लिखित सूचना द्वारा या उक्त सूचना के स्थान पर तीन माह के वेतन और भत्ते देकर निम्नानुसार सेवा निवृत्त करने का परम अधिकार है।

(5) केंद्र सरकार के समूह 'ग' पद के समकक्ष पद पर ब्यूरो में कार्यरत किसी कर्मचारी को जब वह तीस वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए, कम से कम तीन माह की लिखित सूचना द्वारा या उक्त सूचना के स्थान पर तीन माह के वेतन और भत्ते देकर ब्यूरो की सेवा से सेवा निवृत्त हो सकता है।

(6) ब्यूरो का एक कर्मचारी उप नियम (3) उप नियम (4) और उप नियम (5) में संदर्भित तरीके से कम से कम तीन माह की सूचना में इसके कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारी से लिखित रूप में इसे करने का अनुरोध कर सकता है :-

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी सूचना की अवधि के गुण दोषों के आधार पर इसमें कमी करने के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं, यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि सूचना की अवधि में कटौती से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी।

(7) ब्यूरो के कोई कर्मचारी, जिन्होंने उप नियम (3) और (5) के अधीन सेवा निवृत्त होने का चयन किया है और सक्षम प्राधिकारी को इस आशय की अनिवार्य सूचना दी है, उन्हें अपने चयन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी; सिवाए उक्त प्राधिकारी की ओर से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त होने के साथ :

बशर्ते कि वापस लेने का अनुरोध उनकी सेवा निवृत्ति की आशयित तिथि के अंदर किया गया है।

टिप्पण 1 : एक कर्मचारी द्वारा उप नियम (1), उप नियम (3), उप नियम (4) और उप नियम (5) में संदर्भित तीन माह की सूचना अवधि उप नियम (2) और उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी होने या उप नियम (4) और उप नियम (5) में विनिर्दिष्ट 30 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले दी जाती है, बशर्ते सेवा निवृत्ति उनके संगत आयु पूरा करने के बाद होता है या उन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूरी की है, जैसा भी मामला हों।

टिप्पण 2 : उपरोक्त कथित उप नियमों में संदर्भित तीन माह की सूचना अवधि की गणना में, सूचना की सेवा की तिथि और इसके समाप्त होने की तिथि को शामिल नहीं किया जाएगा।

16. चिकित्सा सुविधा के सेवा निवृत्ति पश्चात् लाभ – (1) ब्यूरो की सेवा से सेवा निवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों सहित आश्रितों के बाह्य और आंतरिक चिकित्सा उपचार के लिए अनिवार्य चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, जैसा कि नियम 9 और नियम 10 में विनिर्दिष्ट किया गया है जो सेवा निवृत्ति के बाद उस सेवा निवृत्त कर्मचारी और उसके आश्रितों के पूरे जीवन के लिए वैध होंगे।

(2) नियम 9 के अधीन बाह्य चिकित्सा उपचार की प्रतिपूर्ति का लाभ उप नियम (1) में संदर्भित बाह्य चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के लाभ सेवा निवृत्ति की तिथि पर आहरित ग्रेड वेतन सहित या वेतन मैट्रिक्स के स्तर में दो माह के वेतन तक सीमित होगा।

भाग VIII**सेवा की अन्य शर्तें**

17. **सेवा की अन्य शर्तें** – मौलिक नियमों और पूरक नियमों में शामिल सेवा की अन्य शर्तें, जो केंद्रीय सरकार के सेवकों पर लागू हैं, जिन पर इन नियमों में कोई प्रावधान व्यक्त नहीं किया गया है, जो यथावश्यक परिवर्तनों सहित ब्यूरो के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

18. **संशोधित आश्वस्त कैरियर संवर्धन योजना** – केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संशोधित आश्वस्त कैरियर संवर्धन योजना के प्रावधान, जो केंद्रीय सरकार के सेवकों पर लागू हैं, जो यथावश्यक परिवर्तनों सहित ब्यूरो के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

19. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार का अभिमत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वह किसी भी श्रेणी के व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में छूट देने के लिए लिखित में रिकार्ड किए जाने के लिए आदेश दे सकती है।

अनुसूची**[नियम 2 (1) (द) देखें]****ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में मौजूदा पदों की सूची**

1. महानिदेशक
2. उप महानिदेशक
3. सचिव
4. ऊर्जा अर्थशास्त्री, निदेशक के रूप में पुनः नामित
5. सहायक ऊर्जा अर्थशास्त्री, संयुक्त निदेशक के रूप में पुनः नामित
6. जन संपर्क प्रबंधक या मीडिया मैनेजर
7. वरिष्ठ निजी सचिव
8. वित्त एवं लेखा अधिकारी
9. निजी सचिव
10. लेखाकार
11. आशुलिपिक
12. ड्राइवर

प्ररूप 1

[नियम 9 (3) देखें]

चिकित्सा के दावे की प्रतिपूर्ति

माह

1. नाम और पदनाम :
2. रोगी का नाम और कर्मचारी के साथ उसके संबंध :
3. जिस जगह पर रोगी बीमार है :
4. डॉक्टर और अस्पताल का नाम :
5. वेतन मेट्रिक्स में स्तर (1 जुलाई, 20 के अनुसार) :
6. दावा की गई राशि के विवरण :
7. संलग्न किए गए बिलों की कुल संख्या :

दावा विवरण	दावे की राशि	जमा की गई राशि
परामर्श प्रभार, परामर्शों की संख्या और तारीख विशेष परामर्श संख्या और परामर्शों की तारीख रोग की जांच प्रभार दवाओं की लागत कैश मेमो संख्या और तारीख		
रु. (शब्दों में)		

टिप्पण : जहां चिकित्सा उपचार में बड़ी जांचें या नैदानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, वहां अधिकृत चिकित्सक या उपचार करने वाले डॉक्टर की ओर से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और मान्यता के अनुसार सत्य हैं और ये व्यक्ति जिनके लिए चिकित्सा व्यय किए गए हैं, वे पूरी तरह मुझ पर आश्रित हैं।

संलग्नक :

तारीख:

दावेदार के हस्ताक्षर

वार्षिक राशि स्वीकार्य		
अब तक ली गई राशि		

संलग्न बिलों की कुल संख्या		
दावे किए गए बिलों की कुल राशि		
जमा किए गए बिलों की कुल राशि		
शेष राशि		

चिकित्सा व्यय के लिएरु. की राशि प्राप्त की।

जमा किए गए बिलों की राशि प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के हस्ताक्षर
तारीख :

प्ररूप II

[नियम 11(3) देखें]

आवेदन पत्र

दावा करने के लिए आवेदन का प्ररूप :

(क) ब्यूरो के कर्मचारियों और उनके परिवारों के चिकित्सा उपचार और/या उपचार के संबंध में दावे/व्यय/खर्च की गई राशि की चिकित्सा की प्रतिपूर्ति ;

(ख) अधिकृत चिकित्सक और एक अस्पताल में लिए गए चिकित्सा उपस्थिति या उपचार के लिए दावे/व्यय/खर्च की गई राशि की चिकित्सा की प्रतिपूर्ति का दावा।

1. कर्मचारी का नाम और पदनाम :
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. (1) विवाहित या अविवाहित :
(2) यदि विवाहित हैं तो पत्नी/पति किस जगह कार्यरत है :
3. कर्मचारी के वेतन मेट्रिक्स में स्तर : :
4. घर का पता :
5. रोगी का नाम और कर्मचारी के साथ उसका संबंध : :
6. जिस जगह पर रोगी बीमार है : :
7. दावा की गई राशियों का विवरण : :

I. चिकित्सा हेतु उपस्थिति :

परामर्श के लिए शुल्क का संकेत -

- (क) परामर्श देने वाले चिकित्सा अधिकारी का :
नाम और पदनाम और वह किस
अस्पताल या डिस्पेंसरी या क्लिनिक के
साथ संलग्न है
- (ख) परामर्श की संख्या और तारीख और प्रत्येक :
परामर्श के लिए भुगतान शुल्क
- (ग) इंजेक्शन की संख्या और तारीख और प्रत्येक :
इंजेक्शन के लिए भुगतान शुल्क

II. अस्पताल में उपचार :

अस्पताल का नाम □

अस्पताल उपचार के लिए प्रभार, इसके लिए अलग
शुल्क बताया जाए -

- (i) आवास (बताएं कि क्या यह कर्मचारी की :
पात्रता के अनुसार है, जहां उसे पात्रता से
बड़ा आवास दिया गया, इस प्रभाव का एक
प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए कि पात्रता
वाला आवास उपलब्ध नहीं था)
- (ii) भोजन :
- (iii) शल्य चिकित्सा या चिकित्सा उपचार या
भर्ती करना :
- (iv) विकृतिजन्य, रोग जीवाणु, विकिरण या
अन्य समान परीक्षण सहित -
- (क) किए जाने वाले अस्पताल या
प्रयोगशाला का नाम
- (ख) क्या यह अस्पताल में मौजूद
व्यक्ति के प्रभारी चिकित्सा
अधिकारी की सलाह पर कराया
गया? यदि हां तो इस आशय का
प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए
- (v) दवाएं :
- (vi) विशेष दवाएं

(कैश मेमो संलग्न करें)

- (vii) साधारण नर्सिंग :
- (viii) विशेष नर्सिंग :
(विशेष नर्सिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- (ix) डॉक्टर के परामर्श /विजिट का प्रभार :
- (x) एम्बुलेंस प्रभार:
(यात्रा का विवरण दें- आना जाना)
- (xi) अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध नहीं होने पर प्रमाण-पत्र (बाहर से खरीदे गए रक्त के मामले में)
- (xii) अन्य कोई प्रभार, अर्थात् इलेक्ट्रिक लाइट, :
आयरन, पंखा, हीटर, एयर कंडीशनिंग और अन्य प्रभार, बताएं कि क्या ये सुविधाएं सामान्य तौर पर सभी रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं के भाग के रूप में दी गईं और रोगी के लिए कोई विकल्प नहीं बचा था

III. विशेषज्ञ के साथ परामर्श : :

अधिकृत चिकित्सा परिचर के अलावा एक विशेषज्ञ या एक चिकित्सा अधिकारी को किए गए शुल्क का भुगतान बताएं -

- (क) परामर्श विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी का नाम और पदनाम और वे किस अस्पताल के साथ संलग्न हैं।
- (ख) परामर्शों की संख्या और तारीख और प्रत्येक परामर्श के लिए शुल्क प्रभार
- (ग) क्या परामर्श अस्पताल में या विशेषज्ञ के परामर्श कक्ष में किया गया या चिकित्सा अधिकारी रोगी के निवास पर आया।

8. डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें :
(केवल आंतरिक उपचार के मामले में)
9. ब्यूरो से अनुमति पत्र की प्रति संलग्न करें :
10. स्व व्याख्यात्मक पत्र संलग्न करें (निजी मान्यता प्राप्त :
अस्पताल से लिए गए उपचार के मामले में)

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 11. | कुल राशि का किया गया दावा | : |
| 12. | अग्रिम घटाएं यदि लिया गया | : |
| 13. | निवल राशि का किया गया दावा | : |
| 14. | संलग्नकों की सूची | |

घोषणा-पत्र पर कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और मान्यता के अनुसार सत्य हैं। अधोहस्ताक्षरी/ जिस व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा व्यय किए गए हैं, वे पूरी तरह मुझ पर आश्रित हैं।

तारीख :

कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्ररूप III

[नियम 11(5) देखें]

*घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि #माता-पिता, बहन, विधवा बहन, विधवा / तलाकशुदा या अलग रहने वाली बेटियां और उनके नाबालिग बच्चे, भाई, बच्चे, सौतेली माँ, सौतेले बच्चे, किसी भी तरह की निःशक्तता (शारीरिक या मानसिक) से पीड़ित नहीं हैं, मुझ पर पूर्णतः / मुख्य रूप से निर्भर हैं।

मैं पुनः प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे #माता-पिता, बहन, विधवा बहन, विधवा / तलाकशुदा या अलग रहने वाली बेटियां, भाई या बच्चे, सौतेली माँ, सौतेले बच्चे, किसी भी तरह की निःशक्तता (शारीरिक या मानसिक) से पीड़ित नहीं हैं, उनकी सभी स्रोतों से पेंशन सहित आय प्रति माह रु. है, जो लाभ उठाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वर्तमान सीमा से अधिक नहीं है।

तारीख के साथ कर्मचारी /सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर

*आश्रित की आय और निवास के विषय में घोषणा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शुरुआत में और सेवा निवृत्ति की तारीख को संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाए।

#जो लागू नहीं है, उसे काट दें।

प्ररूप - IV

[नियम 11(5) देखें]

कर्मचारी द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए परिवार के सदस्यों और आश्रितों की घोषणा

कर्मचारी का नाम :

पदनाम :

परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	कर्मचारी के साथ संबंध	व्यवसाय	निवास स्थान

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

- (क) मैंने इन नियमों में परिभाषित रूप में आश्रितों की घोषणा के संबंध में पात्रता शर्तों को पढ़ा है; जैसा कि चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए नियम 2 (च) में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ख) मैं चिकित्सा उपचार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए मेरे आश्रितों के रूप में उपरोक्त नामित परिवार के सदस्यों की घोषणा करता हूँ;
- (ग) परिवार के उपरोक्त सदस्यों की मासिक आय प्रति माह एक हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है
- (घ) मेरे माता-पिता मेरे साथ रहते हैं और मुझ पर पूरी तरह निर्भर हैं।
- (ङ) मेरे जीवनसाथी _____ में कार्य कर रहे हैं और हम ब्यूरो द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा उपचार सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प लेते हैं तथा मेरे जीवन साथी के नियोक्ता द्वारा चिकित्सा सुविधा का उपयोग नहीं करने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- (च) मेरा जीवनसाथी कार्यरत नहीं हैं।

संलग्नक : जीवनसाथी का नियोक्ता प्रमाण-पत्र

आश्रित का निवास प्रमाण

कर्मचारी के हस्ताक्षर _____

नाम _____

तारीख _____

पता _____

प्ररूप V

[नियम 12 (1) देखें]

उचित मूल्य के एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए

पट्टा विलेख

पट्टा विलेख..... दिनमाह दो हजार और
 को श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी.....

(इसके पश्चात् जिसे उस परिसर के संबंध में "पट्टादाता" कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में जहां भी संदर्भ अनुमति देता है, इसमें उनके वारिस, उत्तरवर्ती, कानूनी प्रतिनिधि और समानुदेशिती शामिल हैं) एक पक्ष में और मैसर्स ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय, चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली इस के माध्यम से (इसके पश्चात् जिसे "पट्टेदार" कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक संगत अनुमति देता है, उनके उत्तरवर्ती और समानुदेशिती शामिल हैं) दूसरे पक्ष पर होंगे जिसकी गवाही इस प्रकार है :

इसके पश्चात् आरक्षित किराए के विचार से और इसके पश्चात् पट्टेदार की ओर से पालन और निष्पादन के लिए सभी प्रसंविदाओं और शर्तों पर पट्टादाता को एतद्वारा में स्थित के साथ परिसर को पट्टे के जरिए प्रदान, हस्तांतरित, डेमाइस करता है, जिस पर पट्टादाता को संलग्न भूमि / स्थान शामिल है, इसे प्रवेश, पहुंच मार्ग, सीढियों, लेंडिंग और कथित परिसर के अंदर और इससे संबंधित अन्य सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार माह की अवधि के लिए रुपए की दर पर है, जो कथित अवधि के दौरान पट्टेदाता को से आरंभ करते हुए रुपए (..... रुपए) प्रति माह जिसमें परिसर की फिटिंग, उपकरण और परिसर* का किराया प्रभार शामिल हैं (*इस विलेख के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार) और निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस विलेख के निष्पादन की कानून पात्रता है:

I. पट्टेदार एतद्वारा पट्टेदाता के साथ निम्नानुसार संविदा करता है :

- i) कि पट्टेदार, पट्टेदाता को प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर माह की 15 तारीख अथवा उससे पहले चैक द्वारा उक्त मासिक किराए का भुगतान करेगा।
- ii) कि पट्टेदार, डेमाइज्ड परिसर का उपयोग श्री ----- के रिहायशी उपयोग के लिए करेगा जो उसके द्वारा प्राप्त बिलों के अनुसार, पट्टादाता या संबंधित अधिकारियों को बिजली और पानी की खपत के लिए शुल्क का भुगतान करेगा।
- iii) कि पट्टेदार, पट्टेदाता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को जैसे और जब भी आवश्यक हो, हर उपयुक्त समय, डेमाइज्ड परिसरों के निरीक्षण अथवा मरम्मत के प्रयोजनार्थ हर समय डेमाइज्ड परिसरों में प्रवेश की अनुमति देगा।
- iv) कि पट्टेदाता की प्रसंविदा के अध्यक्षीन, पट्टेदार डेमाइज्ड परिसरों को अच्छी हालत और दशा (उपयुक्त टूट-फूट और आग, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, बिजली गिरने, किसी सेना या जनता द्वारा हिंसा अथवा रोके न जाने योग्य अथवा अनिवार्य बल अथवा दुर्घटना से इतर हिंसा) में रखेगा और छोटी-मोटी मरम्मत करेगा, जैसे फ्यूज, पानी, नलों में रिसाव आदि।

- v) कि पट्टादाता डेमाइज्ड परिसरों पर पट्टेदार के लिखित सहमति बिना कोई स्थायी संरचना खड़ी नहीं करेगा बशर्ते कि पट्टेदार अपने खर्च पर पट्टेदाता की सहमति के बिना अस्थायी पार्टिशन लगा सकता है।
- vi) कि पट्टेदार, पट्टेदाता की सहमति के बिना डेमाइज्ड परिसरों को उप किराए पर नहीं देगा, समनुदेशित नहीं करेगा अथवा इनका दखल किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा।
- vii) कि पट्टेदार को पट्टे को समाप्त करने की इच्छा का लिखित में एक माह पूर्व नोटिस दिए जाने पर पट्टे की आरंभिक अथवा नवीकृत अवधि के दौरान किसी भी समय पट्टा समाप्त करने का अधिकार होगा।
- viii) कि ब्यूरो को यह सुनिश्चित करने के लिए पट्टे पर दिए परिसरों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि इसका उपयोग मौजूदा नियमों के अनुपालन में किया जा रहा है।
- ix) कि पट्टेदाता, पट्टेदार को फिटिंग्स और फिक्सचरों सहित, यदि कोई हो, पट्टे की अवधि समाप्त होने अथवा उससे पूर्व पट्टेदार को डेमाइज्ड परिसरों को ऐसी हालत में सुपुर्द करेगा जो प्रसंविदाओं और यहां इसमें निहित शर्तों के अनुरूप हो।

II. पट्टेदाता एतद्वारा पट्टेदार के साथ निम्नानुसार प्रसंविदा करता है :

- i) पट्टेदार डेमाइज्ड परिसरों के संबंध में किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा प्रभारित और लगाए गए अथवा उसे देय सभी करों, दरों, लाइसेंस फीस, भूमि किराए और प्रभारों का भुगतान करेगा चाहे उनकी आंकलन की गई प्रकृति कुछ भी हो और यदि पट्टेदार ऐसा करने में विफल रहता है अथवा इसके भुगतान की उपेक्षा करता है, पट्टादाता ऐसा भुगतान कर इसे पट्टेदार से किराए से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज के साथ कटौती कर सकता है अथवा अन्यथा वसूली कर सकता है।
- ii) कि पट्टेदार सभी प्रमुख मरम्मत जैसे बिजली, सेनिटरी की फिटिंग्स, पानी के पाइपों में रिसाव अथवा दरार आदि को पट्टेदाता द्वारा स्वयं दिखाए जाने पर ऐसी त्रुटियों को तत्काल अपने खर्च पर करेगा और यदि पट्टेदाता ऐसी मरम्मत करने में विफल रहता है अथवा इसकी उपेक्षा करता है, पट्टेदार इसे करा सकता है और इन मरम्मतों के लिए किराए से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से इन खर्चों की कटौती कर सकता है अथवा पट्टेदाता से अन्यथा इसकी वसूली कर सकता है।
- iii) पट्टेदार, पट्टे की अवधि अथवा पट्टे की बढ़ाई गई अवधि के दौरान, और इसके बाद दो वर्ष में एक बार अपने खर्च पर, पट्टेदाता द्वारा दखल से पूर्व डेमाइज्ड परिसरों की सफेदी, डिस्टेंपर, पेंट, पॉलिश की व्यवस्था करेगा।
- iv) कि पट्टेदार पट्टे की अवधि के दौरान पट्टेदाता अथवा उसके द्वारा न्यास के अधीन अथवा न्यास में समुचित तौर पर दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवधान या बाधा किए बिना डेमाइज्ड परिसरों को शांतिपूर्वक धारित करेगा एवं उपयोग करेगा।
- v) कि पट्टेदार इसका प्रतिनिधित्व करता/करती है और उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह इस पट्टा विलेख को निष्पादित करने के लिए पूर्ण पात्र है और कि वह पट्टेदार को डेमाइज्ड परिसरों के शांतिपूर्वक दखल के संबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी मांग, दावे, कार्रवाई अथवा कार्रवाई से मुक्त एवं क्षतिमुक्त रखेगा।

III. एतद्वारा निम्नवत परस्पर सहमत है कि:-

- i) कि पट्टेदार उन परस्पर सहमत नियमों एवं शर्तों पर आगे वर्ष/माह की अवधि के लिए पट्टे का नवीकरण के पात्र होंगे जिसके लिए पट्टेदार, पट्टेदाता को एतद्वारा प्रदत्त समयावधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पूर्व लिखित

नोटिस देगा और पट्टादाता एतद्वारा प्रदत्त समयवधि समाप्त होने की तारीख से आगे वर्ष/माह की अवधि के लिए नया पट्टा करेगा।

ii) पट्टादाता अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट स्वीकार करेंगे और वैध एवं विधिवत मुहर लगी पावती(पावतियां) प्रदान करेगा जो ऐसे भुगतान का निश्चयात्मक प्रमाण होगा।

इसकी साक्ष्य में, संबंधित पक्षों ने निम्न की मौजूदगी में पहले उपरोक्त लिखित दिन, माह एवं वर्ष में प्रसंविदा निष्पादित की है।

गवाह

1. पट्टादाता का (नाम)
पट्टेदार
2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से और उसके लिए

[फा. सं. 13/2/2007-ई.सी.]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2017

G.S.R.1041(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 read with clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

PART I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Terms and Conditions of Service of Employees) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) “authorised medical practitioner” means –

(i) a registered medical practitioner appointed or designated by the Central Government, or as the case may be, the State Government, for treatment of its officers, employees and their family members including dependents;

(ii) a registered medical practitioner having a degree recognised under the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

(iii) a registered medical practitioner having a degree or diploma in Ayurveda or Unani or Homoeopathy of not less than four years duration from a University, Statutory Board, Council, Faculty of Indian Medicine and Homoeopathy or equivalent included in the Schedules of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) or, as the case may be, the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);

- (c) “Bureau” means the Bureau of Energy Efficiency constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (d) “competent authority” means the Director-General of the Bureau and includes any other officer so designated by him for the purpose of medical facility and terms and conditions for its application, leased residential accommodation and travelling allowance;
- (e) “controlling officer” means an officer designated by the competent authority for the purposes of travelling allowance, leased accommodation and medical attendance;
- (f) “dependent” means a member of the family of an employee, except the spouse, only if his income from all sources including pension and pension equivalent to gratuity does not exceed the limit specified by the Central Government from time to time for availing such benefits;
- (g) “employee” means an officer or an employee of the Bureau appointed against sanctioned posts including those appointed on deputation or on contract basis under these rules;
- (h) “empanelled hospital or diagnostic centre” means –
- (i) a Government Hospital or diagnostic centre including all recognised private hospitals or diagnostic centres under the Central Government Health Scheme for specialised and general purpose treatment and any other hospital as recognised by the Central Government with which arrangements have been made by the Central Government for the treatment of Central Government servants;
- (ii) maternity and child welfare centres, having arrangements for in-patient treatment and medical attendance for treatment of their employees, members of their families ;
- (i) “family” for the purposes of medical attendance means employee of the Bureau, his wife or husband, as the case may be, and parents, sisters, widowed sisters, widowed daughters, minor brothers, children, step-children, divorced or separated daughters and step mother wholly dependent upon the employee of the Bureau and are normally residing with him;
- (j) “Form” means the form appended to these rules;
- (k) “medical attendance” means the attendance in an empanelled hospital or in a consulting room of an authorised medical practitioner or other clinic or at the residence of the employee, as may be advised by the authorised medical practitioner including pathological, bacteriological, radiological or other methods of examination for the purpose of diagnosis, as are available in any Government or Government recognised hospital, laboratory or diagnostic centre, as are considered necessary by the authorised medical practitioner or other medical practitioner certifies to be necessary;
- (l) “patient” means an employee or a member of his family, to whom these rules applies and who has fallen ill and requires medical attention; and
- (m) “Schedule” means the Schedule, annexed to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appointments to the posts in the Bureau.-

Subject to the overall control of the Bureau,-

- (a) every appointment to the post in the Bureau equivalent to Group 'A' and Group 'B' posts under the Central Government other than those specified in sub-section (2) of the section 9 of the Act, shall be made by the Director-General of the Bureau; and
- (b) every appointment to the post in the Bureau equivalent to Group 'C' posts under the Central Government shall be made by the Secretary of the Bureau.

PART II**PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE**

4. Pay and allowances.—(1) The pay and allowances for the persons appointed through direct recruitment, deputation or short term contract shall be determined and fixed in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

(2) Every employee of the Bureau shall be entitled for dearness allowance, transport allowance, children education allowance or reimbursement of tuition fee, daily allowance, leave, leave travel concession, encashment of leave at the time of availing leave travel concession, other allowances and other facilities as applicable to Central Government employees of corresponding level.

(3) The provisions of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 made under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and gratuity as applicable to statutory bodies under the Central Government, shall apply to the employees of the Bureau.

(4) The employees of the Bureau shall be entitled for -

- (a) medical facilities in accordance with the provisions of Part IV;
- (b) leased residential accommodation facility in lieu of house rent allowance in accordance with provisions of Part V and the employees not seeking the facility of leased accommodation shall be entitled to house rent allowance admissible to the employees of Central Government;
- (c) travelling allowances in accordance with the provisions of Part VI;
- (d) any other allowances available to servants of the Central Government for which provisions have not been made in these rules;
- (e) other facilities such as pay or advances including advance pay, advances in connection with legal proceedings, interest free and interest bearing advances such as, but not restricted to motor car or motor cycle or scooter advance, cycle advance, house building advance, personal computer advance including welfare measures such as incentives for promoting small family norms, with respect to which no express provision has been made in these rules, the provisions of the rules made by the Central Government as are applicable to servants of Central Government, shall apply to employees of the Bureau.

5. Service of employees on deputation.— (1) The counting of past service of an employee on deputation from the Central Government or a State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies, as the case may be, shall on absorption, be governed by the instructions issued by the Central Government in this behalf.

(2) Such allowances as are not admissible to the regular employees of corresponding level in the Bureau, shall not be admissible to the officers on deputation or short term contract, even if they were admissible in their parent organisation.

(3) The employees joining on deputation or short term contract shall be eligible for contribution to the Provident Fund, to which they are subscribing in their parent organization, and where such employees have been members of the Contributory Provident Fund, the Bureau shall bear the cost of the employer's contribution as applicable in each case.

(4) In respect of employees, joining on deputation basis, the Bureau shall pay to the parent Department leave salary contribution and pension contribution/Contributory Provident Fund (employer's share) contribution in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.

(5) When the Bureau determines that the services of the deputationist are no longer required, it may repatriate him to his parent Department even before completion of his normal period of deputation as and when a situation arises for premature reversion to the parent cadre of the deputationist, after giving advance intimation of not exceeding one month to the lending Ministry or Department or organisation and the employee concerned.

6. Placement of employees.— (1) The Director-General of the Bureau may post any employee at any time, in any post, not lower in the Level in the Pay Matrix than the post for which the employee was recruited.

(2) An employee may hold more than one post in the exigency of work for which no extra remuneration shall be paid except as otherwise provided in Fundamental Rules, 1922.

PART III

ANNUAL ASSESSMENT, DISCIPLINARY PROCEEDINGS AND PENALTIES

7. Annual Performance Appraisal.—The general principles and guidelines for writing of annual performance appraisal including system of self appraisal, their periodicity including writing of part reports, authorities competent to record and review such reports, including formats, time limit for completion of writing of such reports for all categories of Central Government servants as specified by the Central Government, shall apply to the employees of the Bureau.

8. Disciplinary proceedings and imposition of penalty.— (1) In the matter of conduct, discipline and imposition of penalty, the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall *mutatis mutandis* apply to the employees of the Bureau.

(2) The authority competent to impose penalty and penalty which it may impose with reference to rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and authority competent to hear appeal with reference to rule 24 of those rules, against the imposed penalty shall be as specified in the following table, namely:-

TABLE

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalty with reference to rule 11	Penalty	Appellate Authority
All posts equivalent to Group 'A' posts under the Central Government.	Director-General, Bureau of Energy Efficiency	Director-General, Bureau of Energy Efficiency	All	Secretary (Power)
All posts equivalent to Group 'B' posts under the Central Government.	Director-General, Bureau of Energy Efficiency	Director-General, Bureau of Energy Efficiency	All	Secretary (Power)
All posts equivalent to Group 'C' posts under the Central Government .	Secretary, Bureau of Energy Efficiency	Secretary, Bureau of Energy Efficiency	All	Director-General, Bureau of Energy Efficiency

(3) The Minister for Power, who is the *ex-officio* Chairperson of the Governing Council of the Bureau, shall be the authority competent with reference to rule 29 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 for the purpose of revision and review of the penalty imposed on any employee of the Bureau.

PART IV

MEDICAL FACILITY AND TERMS AND CONDITIONS FOR ITS APPLICATION

9. Outdoor medical treatment, entitlement and submission of claim.— (1) Every employee of the Bureau shall be entitled to reimbursement of medical expenses, for himself and his family limited to two months pay in the Pay Matrix, as on 1st July of each financial year.

(2) The annual limit specified in sub-rule (1) shall not include the expenses incurred on major tests such as Magnetic Resonance Imaging, Computed Tomography Scan, Angiography which shall be reimbursable on actual basis or as per the approved rates fixed under the Central Government Health Scheme in the Ministry of Health and Family Welfare, whichever is lower.

(3) The employee may claim the re-imburement, subject to annual ceiling amount referred to in sub-rule (1), on production of medical bills or cash receipts or invoices accompanied by a certificate from an authorised medical practitioner in Form I.

(4) The Bureau shall prepare and maintain a list of authorised medical practitioners, area-wise, on the request of the employees and based on relevant documentary proof including prescription with registration number of the concerned Registered Medical Practitioner.

(5) If an employee receives treatment from the Out Patient Department of the Central Government or the State Government empanelled hospital, or Central Government Health Scheme recognised hospital, the attending physician shall be treated as authorised medical practitioner for the Bureau.

10. Indoor medical treatment and entitlement.— (1) The employee and his family shall be entitled for reimbursement of expenditure incurred by him on actual basis provided the treatment has been taken at the Central Government or State Government or Central Government Health Scheme empanelled hospital.

(2) The medical treatment shall include the cost of treatment, cost of transplantation and implantation, bacteriological or radiological scanning and nursing home facilities.

(3) The entitlement of room for indoor treatment in case of hospitalisation including treatment abroad during foreign visit, grant of medical advance, and the procedure to be followed in respect thereof, as applicable to Central Government employees, shall *mutatis mutandis* be applicable to the employee of the Bureau of corresponding level.

11. Submission of claims.— (1) The final claim for reimbursement of medical expenses for a particular spell of illness shall ordinarily be preferred within three months from the date of completion of the treatment shown in the prescription issued by the attending physician, unless the competent authority, on a reasonable cause being shown, condones the delay.

(2) The employees shall submit-

- (a) a copy of the prescription with registration number of the authorised medical practitioner;
- (b) the original bills or cash memos of medicines or tests; and
- (c) the claim for reimbursement.

(3) The application for medical claims shall be in Form II.

(4) The expenses on indoor treatment shall initially be met by the employee himself and he shall apply for medical reimbursement on completion of the treatment.

(5) Where the claim for reimbursement is in respect of the family and the declaration of dependency on an employee has not been furnished by the employee at the beginning of the year as required, a declaration at the time of preferring a claim towards the treatment of the members of the family and the dependent may be accepted from the employee in Form III and Form IV, respectively.

PART V

LEASED RESIDENTIAL ACCOMMODATION

12. Leased residential accommodation.— (1) An employee of the Bureau who does not avail the house rent allowance may opt for leased residential accommodation as per lease deed in the format as specified in Form V on the following terms and conditions, namely:-

- (a) there shall be no self-lease or lease from a blood relation;
- (b) the advance rent or the security deposit up to three months of the admissible agreed lease amount shall be allowed subject to adjustment against rent payable to the owner of the leased accommodation within the tenure of lease agreement;
- (c) if both husband and wife are employees of the Bureau and are posted at the same station, leased accommodation shall be admissible to only one of them;
- (d) if a spouse of the employee of the Bureau is a Government servant or an employee of a public sector undertaking and is posted at the same station, the benefit of leased accommodation shall be admissible to the employee of the Bureau subject to submission of a no objection certificate from the office of the spouse;
- (e) the leased accommodation shall be used only by the employee and his family;

(f) the leased accommodation shall not be sub-leased or sub-let;

(g) the Bureau shall have the right to inspect the leased premises to ensure that they are being used in compliance with the rules;

(h) where inspection undertaken reveals that the leased accommodation is not being used or has not been used in compliance with these rules, the Bureau shall –

(i) terminate the lease deed forthwith ;and

(ii) initiate disciplinary proceedings against the defaulting employee.

(2) The employees of the Bureau, including those on deputation in Bureau of Energy Efficiency shall be eligible for availing the leased residential accommodation.

(3) The monthly rental ceiling for residential accommodation shall be limited to one and half times the house rent allowance as is admissible to the employee in the Central Government.

(4) The period of lease shall not be less than eleven months and no change in the terms and conditions of the lease shall be made unless the extension or continuance of lease is for a period less than eleven months.

(5) The beneficiary employee of the leased accommodation shall be allowed to retain the accommodation for the period specified against the happening of any of the following events on payment of usual normal rent by the employee or his survivor, as the case may be, provided the accommodation is required for bona fide use of the employee or for members of his family, namely:-

S. No.	Details of the event	Permissible period for retention of leased accommodation
1	Retirement	Four months
2	Death of an employee or any member of his family	Four months
3	Transfer	Two months (Where transfer of an employee takes place in the midst of an academic session, the competent authority in exceptional circumstances may extend the period of two months upto the end of academic session, if the shifting of the employee is likely to affect the education of his children adversely).
4	Any kind of leave which qualifies for payment of House Rent Allowance	Full period of leave
5	Leave on medical ground	Six months, inclusive of various kinds of leave which may be due to the employee at the time of proceeding on medical leave.
6	Reversion of a deputationist to his parent department	Two months (if served in the Bureau of Energy Efficiency for a period of not less than one year).
		One month (if served in the Bureau of Energy Efficiency for a period of less than one year).

(6) The competent authority may relax the terms and conditions in the lease deed in exceptional cases, wherever it is established that such terms and conditions cause undue hardship to the concerned employee.

(7) The Bureau shall decide if any doubt or dispute arises regarding the implementation of rules specified in Part V.

PART VI

TRAVELLING ALLOWANCE

13. General Principles.— (1) The general principles governing the regulation of compensatory allowances as specified in rule 44 of the Fundamental Rules, 1922 and rule 21 of the General Financial Rules, 2005 shall apply, as regards to standards of financial propriety for incurring or authorising expenditure from public money.

(2) In Bureau, for determining the entitlement for travelling allowance and daily allowance, namely, hotel accommodation charges, travelling allowance within the city, and food expenses, of the employees, shall categorise the employees of the Bureau into five groups based on their pay ranges in accordance with the arrangements made for the employees of the Central Government from time to time.

(3) The classification of cities or towns for the purpose of these rules shall be in accordance with the notification issued by the Central Government in this regard from time to time.

(4) The expenses towards hotel accommodation at the tour station shall be admissible to the employees of the Bureau in accordance with the rates specified by the Central Government for its employees from time to time and the expenditure on accommodation at tour station shall be reimbursed based on actual expenditure supported by bills.

PART VII

RETIREMENT

14. Retirement.— Save as otherwise provided in these rules, every employee of the Bureau shall retire from the service of the Bureau in the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that an employee of the Bureau whose date of birth is the first day of a month shall retire from service of the Bureau on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

15. Premature Retirement.— (1) Notwithstanding anything contained in rule 14, the competent authority in the Bureau may, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, retire any employee of the Bureau by giving him notice of not less than three months' in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice—

- (a) if he is, in a post equivalent to Group 'A' or Group 'B' post in the Central Government in a substantive, quasi-permanent or temporary capacity and had entered the service of the Bureau before attaining the age of thirty-five years, after he has attained the age of fifty years; or
- (b) in any other case after he has attained the age of fifty-five years.

(2) If on a review of the case either on a representation from the employee of the Bureau retired prematurely or otherwise, it is decided to reinstate him in service, the competent authority ordering reinstatement may regulate the intervening period between the date of premature retirement and the date of reinstatement by the grant of leave of the kind due and admissible, including extraordinary leave, or by treating it as *dies non* depending upon the facts and circumstances of the case:

Provided that the intervening period shall be treated as a period spent on duty for all purposes including pay and allowances, if it is specifically held by the authority ordering reinstatement that the premature retirement was itself not justified in the circumstances of the case, or if the order of premature retirement is set aside by a court of law:

Provided further that, if the order of premature retirement is set aside by a court of law with specific directions in regard to regulation of the period between the date of premature retirement and the date of reinstatement and no further appeal is proposed to be filed, the aforesaid period shall be regulated in accordance with the order of the court of law.

(3) Any employee of the Bureau may, by giving notice of not less than three months in writing to the competent authority, retire from service after he has attained the age of fifty years, if he is an employee of the Bureau holding a post equivalent to a Group 'A' or Group 'B' post in the Central Government, and had

entered the service of the Bureau before attaining the age of thirty-five years, and in all other cases after he has attained the age of fifty-five years.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the competent authority in the Bureau may, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, retire any employee of the Bureau holding a post equivalent to a Group 'C' post in the Central Government after he has completed thirty years' service by giving him notice of not less than three months in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice.

(5) An employee of the Bureau holding a post equivalent to Group 'C' post, in the Central Government, may, by giving notice of not less than three months in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice to the competent authority, retire from Bureau's service after he has completed thirty years' service.

(6) An employee of the Bureau referred to in sub-rule (3), sub-rule (4), and sub-rule (5) may request in writing to the competent authority to accept notice of less than three months giving reasons thereof:

Provided that the competent authority may consider the request for curtailment of the period of notice on merits, if it is satisfied that the curtailment of the period of notice shall not cause any administrative inconvenience.

(7) An employee of the Bureau, who has elected to retire under sub-rules (3) and (5) and has given the necessary intimation to that effect to the competent authority, shall not be allowed to withdraw his election subsequently, except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for withdrawal is within the intended date of his retirement.

Note 1.- An employee may give three months' notice referred to in sub-rule (1), sub-rule (3), sub-rule (4) and sub-rule (5) before the employee attains the age specified in sub-rules (2) and (3) or has completed the age of thirty years specified in sub-rules (4) and (5), provided that the retirement takes place after he has attained the relevant age or has completed thirty years' service, as the case may be.

Note 2.- In computing the period of notice of three months referred to in the aforesaid sub-rules, the date of service of the notice and the date of its expiry shall be excluded.

16. Post retirement benefit of medical facility.- (1) Every employee retiring from the service of the Bureau shall be entitled to reimbursement of medical expenses necessary for outdoor and indoor medical treatment for himself and the members of his family, as specified in rule 9 and rule 10, after retirement for the whole life of the retired employee and dependents.

(2) The benefit of re-imburement for outdoor medical treatment under rule 9, referred to in sub-rule (1), shall be limited to two months pay with grade pay or Level in Pay Matrix drawn on the date of retirement.

PART VIII

OTHER CONDITIONS OF SERVICE

17. Other Conditions of Service .- The other conditions of service covered in the Fundamental Rules and Supplementary Rules which are applicable to the servants of the Central Government on which no express provision has been made in these rules shall, *mutatis mutandis*, be applicable to the employees of the Bureau.

18. Modified Assured Career Progression Scheme.- The provisions of the Modified Assured Career Progression Scheme, made by the Central Government, as are applicable to the servants of the Central Government shall, *mutatis mutandis*, be applicable to the employees of the Bureau.

19. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

[See rule 2(1) (m)]

List of posts existing in Bureau of Energy Efficiency

1. Director-General,
2. Deputy Director-General,
3. Secretary
4. Energy Economist re-designated as Director
5. Assistant Energy Economist re-designated as Joint Director
6. Public Relation Manager or Media Manager
7. Senior Private Secretary
8. Finance and Accounts Officer
9. Private Secretary
10. Accountant
11. Stenographer
12. Driver

Form I

[See rule 9 (3)]

Reimbursement of medical claim

Month.....

1. Name and designation:
2. Name of the patient and his/her relationship with the employee:
3. Place at which patient fell ill:
4. Name of the doctor or hospital:
5. Level in the Pay Matrix (as on 1st July, 20):
6. Details of the amounts claimed:
7. Total number of bills attached:

Claim details	Amount claimed	Amount admitted
Consultation charges		
Number and dates of consultations		
Special consultations		
Number and dates of consultations		
Pathological charges		
Cost of medicines		
Cash memo Number and Date		
Rupees(in words)		

Note.- Where medical treatment involves major tests or diagnostic procedures, Essentiality Certificate from authorised medical practitioner or attending physician shall be attached.

I, hereby, declare that the statements made in the application are true to the best of my knowledge and belief and that the person for whom the medical expenses were incurred is wholly dependent upon me.

Enclosure:

Date:

Signature of the claimant

Yearly amount admissible		
Amount availed so far		
Total number of bills attached		
Total amount of bills claimed		
Total amount of bills admitted		
Remaining balance		

Received an amount of Rs. against medical expenses.

Signature of the Employee receiving the amount of bills admitted.

Date:

FORM II

[See rule 11(3)]

Application Form

Form of application for claiming:

(a) reimbursement of medical claims or expenses incurred in connection with medical attendance or treatment of employees of the Bureau and their families;

(b) reimbursement of claim or expenses incurred for medical attendance or treatment taken from authorised medical practitioner in a Hospital.

1. Name and Designation of the Employee:

(In Block Letters)

2. (i) Whether married or unmarried:

(ii) If married, the place where the

Wife/Husband is employed:

3. Level in the Pay Matrix of the

employee:

4. Residential Address:

5. Name of the patient and his/her

relationship with the employee:

6. Place at which the patient fell ill:

7. Details of the amounts claimed:

I. Medical attendance:

Fees for consultation indicating -

- (a) the name and designation of the medical officer consulted and the hospital or dispensary or clinic to which attached:
- (b) the number and date of consultation and the fee paid for each consultation:
- (c) the number and date of injection and the fee paid for each injection:

II. Hospital treatment:

Name of the hospital

Charges for hospital treatment, indicating separately the charges for –

- (i) Accommodation (State whether it was according to the entitlement of employee; where the accommodation is higher than entitlement , a certificate should be attached to the effect that the entitled accommodation was not available):
 - (ii) Diet:
 - (iii) Surgical operation or medical treatment or confinement:
 - (iv) Pathological, Bacteriological, Radiological or other similar tests, indicating-
 - (a) the name of the hospital or laboratory at which undertaken; and
 - (b) whether undertaken on the advice of the Medical officer in charge of the case at the hospital?
- If so, a certificate to the effect should be attached.
- (v) Medicines:
 - (vi) Special medicines:
(Cash memos should be attached)
 - (vii) Ordinary nursing:
 - (viii) Special nursing:
(Certificate of special nursing attached)
 - (ix) Doctor's consultation/visit charges:

- (x) Ambulance Charges:
(State the journey –to an fro-undertaken)
- (xi) Blood if not available certificate from
the Hospital Blood Bank (in case of blood
purchased from outside):
- (xi) Any other charges, namely, charges for
electric light, iron, fan, heater,
air conditioning and other charges, state also
whether the facilities referred to are
a part of the facilities normally
provided to all patients and no
choice was left to the patient:

- III. Consultation with specialist:
Fees paid to a Specialist or a Medical Officer
other than the authorised Medical Attendant
indicating-
- (a) the name and designation of the
specialist or medical officer consulted
and the hospital to which they are attached;
- (b) the number and dates of consultations
and the fees charged for each
consultation;
- (c) whether consultation was referred
at the hospital or at the consulting
room of the specialist or medical
officer or at the residence of the
patient:
8. Copy of discharge certificate attached:
(in case of indoor treatment only)
9. Copy of the permission (for indoor treatment)
from the Bureau to be attached:
10. Self explanatory letter attached (in case the
treatment has been taken from private
unrecognised hospital):
- 11 Total amount claimed:
12. Less advance, if taken:
- 13 Net amount claimed:
- 14 List of enclosures:

Declaration to be signed by the employee

I, hereby declare, that the statements in the application are true to the best of my knowledge and belief. The claim for medical expenses incurred is in respect of undersigned/ the person who is wholly dependent upon me.

Date:

Signature of the employee/retired employee

Form III

[See rule 11(5)]

***Declaration**

I Declare, that the #parents, sisters, widowed sisters, widowed or divorced or separated daughters and their minor children, brothers, children, step-mother, and step-children, not suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) are wholly/mainly dependent upon me.

I further declare that the income of my #parents, sisters, widowed sisters, widowed/divorced or separated daughter brothers or children, stepmother and stepchildren, not suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) from all sources including pension does not exceed the present limit of Rs....., specified by the Central Government for availing the benefits.

Signature of the employee/retired employee with date

*The declaration regarding the income and the residence of dependent should be furnished by the employee concerned, once in the beginning of every calendar year and on the date of retirement.

#Strike off, which is not applicable.

Form IV

[See rule 11(5)]

**DECLARATION BY EMPLOYEE OF MEMBERS OF HIS FAMILY AND DEPENDENT(S)
FOR MEDICAL TREATMENT**

Name of the employee:

Designation:

Details of the family members are as under-

S.No.	Name	Date of birth	Relationship with employee	Occupation	Place of residence

I, hereby, declare that-

- (a) I have read the eligibility conditions with regard to declaration of dependents as specified in rule 2(f) for availing medical facility;
- (b) I, declare, the above named family members, as my dependents, for availing medical treatment facility.
- (c) Monthly income of none of the above family members exceed one thousand and five hundred rupees per month.
- (d) My parents reside with me and are wholly dependent on me.
- (e) My spouse is working in the _____ and we opt to avail the medical treatment facility provided by the Bureau and a certificate issued by my spouse's employer certifying non-availment of medical facility from them is enclosed.
- (f) My spouse is not working.

Enclosures: Spouse's Employer Certificate

Dependent's residence proof

Signature of employee _____

Name _____

Date _____

Address _____

FORM V

[See rule 12 (1)]

To be executed on a Non-judicial stamp paper of appropriate value

LEASE DEED

THE DEED OF LEASE made on this..... day oftwo thousand and between Shri/Smt.son/daughter/wife of residing at (hereinafter called "the Lessor" with respect to the latter premises which expression shall wherever the context permits, be deemed to include his/her heirs, successors, legal representatives and assigns) of the one part and M/s. Bureau of Energy Efficiency (BEE), a Statutory body of Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi through its (hereinafter called "the Lessee" which expression shall wherever the context permits be deemed to include their successors and assigns) of the other part, witnesses as follows:

In consideration of the rent hereinafter reserved and all the covenants and conditions hereinafter contained to be observed and performed on the part of the Lessee, the Lessor does hereby grant, transfer, demise by way of lease, the premises consisting of situated at of which the Lessor is entitled in law to execute this deed, together with the appurtenant land/space, the rights to make use of entrances, passage, stair cases, landing and other easements belonging and pertaining to the said premises unto and to the use of the Lessee for a period of months @ Rs..... commencing from by paying unto the Lessor during the said period a rent of Rs..... (Rupees) per month, inclusive of hire charges of the fittings, equipments and fixtures in the premises* (as per Schedule attached to this Deed*) and subject to the following conditions:

I. The Lessee hereby covenants with the Lessor as follows:

- (i) That the Lessee shall pay to the Lessor the said monthly rent by cheque on or before the 15th day of each English calendar month.
- (ii) That the Lessee shall use the demised premises for the residential use of Sh....., who shall pay the charges for consumption of electricity and water to the Lessor or the concerned authorities, as per bills received by him.
- (iii) That the Lessee shall permit the Lessor or his/her authorised representatives to enter upon the demised premises at all reasonable times for the purpose either for inspection or repair of the demised premises, as and when necessary.
- (iv) That subject to the Lessor's covenants, the Lessee shall keep the interior of the demised premises in good order and condition (reasonable wear and tear and damages by fires, earthquake, flood, tempest, lightning, violence of any army or of a mob or other irresistible or inevitable force or accident are accepted) and attend to minor repairs such as fuses, leakages of water, taps etc.
- (v) That the Lessee shall not erect on the demised premises any permanent structure without the written consent of the Lessor, provided that the Lessee may, without the Lessor's consent, erect temporary partitions at his own cost.
- (vi) That the Lessee shall not sublet, assign or otherwise part with the possession of the demised premises without the consent of the Lessor.
- (vii) That the Lessee shall be entitled to terminate the lease at any time during the initial or renewed term of the lease upon serving one month's previous notice in writing of its intention so to do.
- (viii) That the Bureau shall have the right to inspect the leased premises at any time to ensure that the same is being used in compliance with the existing rules.
- (ix) That the Lessee shall deliver the demised premises to the Lessor on the expiration or earlier determination of the lease, together with the Lessor's fittings and fixtures, if any, in such condition as is consistent with the covenants and conditions herein contained.

II. The Lessor hereby covenants with the Lessee as follows:

- (i) That the Lessor shall pay all taxes, rates, license fees, ground rent and charges of whatever character assessed, levied, charged and imposed by or payable to any lawful authority in respect of the demised premises and if the Lessor fails or neglects to pay the same, the Lessee may make such payment and deduct the same with interest at the rate of 12% per annum from the rent or otherwise recover it from the Lessor.
- (ii) That the Lessor shall effect all major repairs such as leakages in electricity, sanitary fittings, water pipes or cracks etc. at his/her own cost immediately upon such defects are notified to him/her by the Lessee and if the Lessor fails or neglects to make such repairs the Lessee may cause the same done and deduct the expenses of such repairs with interest at the rate of 12% per annum from the rent or otherwise recover it from the Lessor.
- (iii) That the Lessor shall arrange for the white wash, distemper, paints, polish the demised premises before occupation by the Lessee and thereafter once in two years during the lease period or extended lease period, at his/her cost.

- (iv) That the Lessee shall peacefully and quietly hold and enjoy the demised premises during the lease period without any interruption or disturbance by the Lessor or any person rightfully claiming under or in trust for him/her.
- (v) That the Lessor represents and warrants that he/she is fully entitled to execute this lease deed and that he/she will hold the Lessee free and harm-less of any demands, claims, actions or proceedings by others in respect of quite possession of the demised premises.

III. It is hereby mutually agreed as follows:

- (i) That the Lessee shall be entitled to renew the lease for a further period of year/months on the same mutually agreed terms and conditions for which the Lessee shall give to the Lessor a notice in writing not less than one month before the expiration of the term hereby granted and the Lessor shall grant fresh lease for a further period of year/months from the date of expiration of the term hereby granted.
- (ii) The Lessor or his/her authorised agent(s) shall acknowledge and give valid and duly stamped receipt(s) which shall be conclusive proof of such payment.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed there presents at on the day, month and year first above written in the presence of:

WITNESSES

- | | |
|----|--|
| 1. | Lessor (Name.....) |
| | Lessee |
| 2. | for and on behalf of
Bureau of Energy Efficiency. |

[F. No. 13/2/2007-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor